

# परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था / Atomic Energy Education Society

(भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग का स्वायत्त निकाय / An Autonomous Body, under the Department of Atomic Energy, Govt. of India)

31/12/2019 तक वर्ष 2019 के लिए अचल संपत्ति का विवरण / STATEMENT OF IMMOVABLE PROPERTY FOR THE YEAR 2019 AS ON 31/12/2019

अधिकारी का नाम / Name of the officer : DESHRAJ KISHANA कर्मचारी पहचान संख्या / Employee ID No. 2920  
 विद्यालय का नाम / School Name: AECS-2, TARAPUR वर्तमान पदनाम / Present post held: VICE PRINCIPAL  
 वर्तमान वेतन / Present Pay: 73200 ई-मेल आईडी / e-Mail ID aditya.kishana12@gmail.com

कर्मचारी पहचान संख्या / Emp ID	जिला, उप-मंडल, तालुका और गांव का नाम जहां संपत्ति स्थित है / Name of District, Sub Division, Taluka and village in which the property is situated	संपत्ति, आवासीय भूमि और अन्य भवनों का नाम व विवरण / Name and details of property, Housing lands and other buildings	वर्तमान मूल्य / Present Value	यदि संपत्ति आपके नाम पर नहीं है तो उस व्यक्ति का नाम व सरकारी कर्मचारी से संबंध जिसके नाम पर यह संपत्ति है / If not in own name, state in whose name held and his/her relationship to Govt. Servant	संपत्ति खरीद, पट्टे, बंधन, उत्तराधिकार या कौन से तरीके से अर्जित की गई है? / How acquired? Whether by purchase, lease, mortgage, inheritance,	संपत्ति से वार्षिक आय / Annual Income from the property	अभ्युक्तियां / Remark	
2920	NA	NA	NA	NA	NA	NIL	NIL	Delete
<a href="#">Enter Another Property</a>								<a href="#">Print This Page</a>

यदि मूल्य का सटीक निर्धारण संभव नहीं है तो वर्तमान स्थितियों के अनुसार अनुमानित मूल्य उल्लिखित किया जाए / In case where it is not possible to assess the value accurately the approximate value in relation to present conditions may be indicated.

नोट / Note: यह घोषणा पत्र केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1964 के नियम 18(1) के तहत सेवा में प्रथम नियुक्ति पर और उसके बाद प्रत्येक वर्ष के अंतराल में स्वयं के नाम या अपनी परिवार के किसी सदस्यों के नाम या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर खरीदी गई, अर्जित की गई या विरासत में प्राप्त या पट्टे पर ली गई या बंधक की गई सभी अचल संपत्ति का ब्यौरा श्रेणी-I एवं श्रेणी-II सेवा के प्रत्येक सदस्यों द्वारा भरा एवं प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है / The declaration form is required to be filled and submitted by every member of Class - I and Class - II service under Rule 18(1) of the Central Civil Services (Conduct) Rules 1964 on the first appointment to the service and thereafter at the interval of every year giving particulars of all immovable property owned, acquired or inherited by him or held by him on lease or mortgage either in his own name or in the name of any members of his family or in the name of any other person.

NEW

UPLOAD\_SIGNED\_AIPR\_2019

*Aditya Kishana*  
19/01/2020